पत्रांक......443....................................../
अ0 नि0(03)–02/2016(आवंटन)

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा0प्र0से0
निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
अभियोजन निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14.03.2016

विषयः– मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष –114 विधि सलाहाकार और परामर्शदाता (काउसिंल) उप शीर्ष 0004, अभियोजन निदेशालय मांग संख्या–22 विपत्र कोड–N2014001140004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम चार माह (जुलाई, 2016) तक वेतनादि एवं अन्य आकस्मिक मदों में निकासी हेतु कुल 71,42,000/–(एकहत्तर लाख बयालीस हजार रूपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक एम0–04–09/2014, 2793 दिनांक 04.04.2016 के आलोक में अभियोजन निदेशालय(मु0) बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम चार माह (जुलाई, 2016) तक व्यय हेतु मुख्यशीर्ष 2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष– 114 विधि सलाहाकार और परामर्शदाता (काउसिंल) उप शीर्ष–0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं0–22 विपत्र कोड–N2014001140004 में वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त बजट उपबंध से ईकाईवार एवं विषय शीर्षवार राशि से विभिन्न मदों में कुल 71,42,000/–(एकहत्तर लाख बयालीस हजार रूपये मात्र) की राशि आवंटित की जाती है जिसका ईकाईवार विस्तृत विवरणी निम्नवत हैः–

कमांक	प्राथमिक ईकाई	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 01 वेतन	–	22,00,000	22,00,000
2	01 03 जीवनयापन भत्ता	–	27,50,000	27,50,000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	–	4,50,000	4,50,000
4	01 05 परिवहन भत्ता	–	50,000	50,000
5	01 06 चिकित्सा भत्ता	–	25,000	25,000
6	01 07 अन्य भत्ता	–	50,000	50,000
	उप योग(कमांक 1 से 6 तक)	–	**55,25,000**	**55,25,000**
7	11 01 यात्रा व्यय	–	25,000	25,000
8	13 01 कार्यालय व्यय	–	9,00,000	9,00,000
9	13 02 वाहन का इंधन एवं रख–रखाव	–	52,000	52,000
10	13 03 दूरभाष	–	25,000	25,000
12	13 05 विधि प्रभार	–	13,000	13,000
13	13 06 वर्दी/पोशाक	–	20,000	20,000
14	20 01 आतिथ्य व्यय	–	16,000	16,000
15	20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	–	66,000	66,000
16	28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	–	3,00,000	3,00,000
17	52 01 मशीने एवं उपस्कर	–	2,00,000	2,00,000
	कुल योग		[illegible]	[illegible]

[illegible] राशि [illegible] रूपये मा[illegible]

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 2561/वि(2) दिनांक 17.04.98 का अनुपालन करना अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इस पत्र के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लेंगें कि स्थापना मद में केवल स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही राशि की निकासी की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होंगें।
3. यात्रा भत्ता की निकासी यात्रा भत्ता नियमावली/वित्तीय नियमावली तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में की जायगी। किसी भी प्रकार की अनियमित, अवैध, दोहरी एवं वित्तीय निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें। अतः राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस बात की जॉच कर ली जाय कि राशि की निकासी नियमानुसार की जा रही है।
4. आवंटित राशि का संधारण आवंटन पंजी में किया जाएगा।
5. आवंटन आदेश **http://home.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।
6. मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

14/4/16

निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।

14/4/16

ज्ञापांक........443........./ दिनांक 14.03.2016/
अ0 नि0(03)–02/2016(आवंटन)

प्रतिलिपि–
1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप सचिव, गृह (आ0) विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, (पुरानी सचिवालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. उप सचिव नोडल पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्री एस0एम0दूबे, आई0टी0 मैंनेजर को **http://home.bih.nic.in पद पर Upload** करने हेतु प्रेषित।
7. लेखा शाखा, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

14/4/16

निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।

14.4.16